जनहित याचिका

PIL का तात्पर्य जनहित को लागू करने अथवा जनसमुदाय के कानूनी अधिकारों को प्रभावित करने वाले हितों को लागू करने के लिए न्यायालयों द्वारा शुरू की गई न्यायिक प्रक्रिया से है।सर्वोच्च न्यायालय ने आपात स्थिति 1975-77 के बाद ही व्यक्तियों के साथ-साथ NGOs को भी PIL मामलों में वाद दायर करने को अधिकृत कर दी थी। भारत में PIL की शुरुआत 1982 में सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी एन भगवती द्वारा की गई थी। चूंकि मौलिक अधिकारों की रक्षा के संबंध में न्यायिक प्रक्रिया अधिक महंगी एवं जटिल है। यह आम तथा गरीब व्यक्तियों की पहुंच के बाहर है।मूल अधिकारों में निजी तौर पर अधिकारों के उल्लंघन की दशा में ही सामान्यतः न्यायपालिका में वाद दायर किए जाते रहे हैं, लेकिन जनहित मामलों में न्यायालयों द्वारा पूर्व में वादों को प्रोत्साहित नहीं किया जाता था। प्रभावित पक्ष का नियम है कि केवल वही व्यक्ति न्यायालय में कोई वाद दायर कर सकता है जो सरकार की किसी कार्यवाही से स्वयं प्रभावित हो तथा उसके किसी अधिकार का उल्लंघन हो रहा हो। इसके अंतर्गत केवल निजी तौर पर अधिकारों के उल्लंघन के मामले न्यायालय के समक्ष लाए जा सकते हैं। जनहित के मामलों को किसी तीसरे पक्ष द्वारा न्यायालय के समक्ष नहीं लाया जा सकता। इसी कठिनाई के चलते जनहित की पूर्ति के लिए न्यायपालिका द्वारा जनहित याचिका में निम्न दो प्रकार की छूट प्रदान की जाती है-

I.प्रभावित पक्ष के नियम में शिथिलता

II.न्यायालय की विशिष्ट प्रक्रिया में शिथिलता

I.प्रभावित पक्ष के नियम में शिथिलता-वी.आर. कृष्णा अय्यर के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के वाद को इसलिए नहीं स्वीकार किया जाता कि वह उसमें पर्याप्त रूप से प्रभावित पक्ष नहीं है तो इसका तात्पर्य यह होगा कि किसी सरकारी अभिकरण को कानूनों का उल्लंघन करने के लिए खुला छोड़ दिया जाय। ऐसा करना जनहित में नहीं होगा। इस नियम से सामाजिक न्याय के सिद्धांत का भी उल्लंघन होता है क्योंकि गरीब और असमर्थ व्यक्ति अपनी असमर्थता के कारण न्यायालय की शरण नहीं ले सकते। उनके लिए कोई तीसरा पक्ष भी न्यायालय की शरण नहीं ले सकता क्योंकि तीसरा पक्ष इस मामले में प्रभावित पक्ष नहीं है। इसमें इसी नियम को शिथिल कर दिया गया है। PIL के अंतर्गत जनहित से संबंधित किसी प्रकरण को किसी तीसरे पक्ष द्वारा भी न्यायालय में लाया जा सकता है तथा न्यायालय उसमें कार्यवाही कर सकती है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध अन्याय किया जाता है जो अपनी गरीबी तथा असमर्थता के कारण न्याय के लिए न्यायालय नहीं पहुंच सकता तो उसके बदले कोई तीसरा पक्ष न्यायालय में आवेदन कर सकता है। अतः PIL के अंतर्गत प्रभावित पक्ष के

नियम को संशोधित कर जनहित और सामाजिक न्याय के मामलों में सीधे तौर से अप्रभावित तीसरे पक्ष को भी न्यायालय में वाद दायर करने का अधिकार दिया जाता है।
II.न्यायालय की विशिष्ट प्रक्रिया में शिथिलता-PIL में न्यायालय की विशिष्ट प्रक्रिया को अपनाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी याचिकाएं एक आवेदन पत्र या पोस्टकार्ड के माध्यम से ही न्यायालय में योजित की जा सकती है तथा न्यायालय भी इन्हें स्वीकार कर ही लेती है। भारत में PIL की शुरुआत 1980 में एक पोस्टकार्ड के माध्यम से ही हुई जब तिहाड़ जेल का एक बंदी सुनील बत्रा ने सर्वोच्च न्यायालय को एक पोस्टकार्ड लिखकर कैदियों के प्रति और अमानवीय व्यवहार की शिकायत की। सर्वोच्च न्यायालय ने इस पोस्टकार्ड के आधार पर सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन 1980 नामक वाद दायर कर उसमें उचित आदेश पारित की। कालांतर में सर्वोच्च न्यायालय में कई अन्य मामलों में पत्र के माध्यम से PIL दायर की गई।
👉जनहित याचिका के मुख्य तत्व-
*PIL में समाज के किसी वर्ग के संवैधानिक और कानूनी अधिकारों के संबंध में सरकार का दायित्व मुख्य विषय होता है।
*यह जनहित के मामलों में न्याय के प्रशासन का एक साधन है।
*यह केवल दो पक्षों के बीच विवादों का निपटारा नहीं है बल्कि इसमें न्यायपालिका प्रक्रिया संबंधी बाधाओं को दूर करके याचिकाओं की सुनवाई करती है तथा पीड़ित पक्ष के शोषण व कठिनाइयों के समाधान हेतु आदेश पारित करती है। *न्यायपालिका जनहित की आड़ में निजी हितों का संरक्षण करने वाली याचिकाओं को PIL के रूप में स्वीकार नहीं करेगी।
*PIL में सुनवाई करना सरकार का कोई सलाहकारी कार्य नहीं है। इसका उद्देश्य सरकार, वकील तथा न्यायपालिका के सहयोग से कमजोर वर्ग के मानवाधिकारों की रक्षा करना है।
👉जनहित याचिका के महत्व-
*कार्यपालिका में जवाबदेही लाने में सहायक *कमजोर वर्गों का हित साधन
*जनहित की पूर्ति का साधन
सरकार की निरंकुशता पर नियंत्रण
👉जनहित याचिका की सीमाएं-
*PILका उद्देश्य जनहित का संरक्षण है न कि निजी उद्देश्यों की पूर्ति
*PIL में न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आने वाले कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करती है।
*PIL में पत्र के प्रेषक का नाम गोपनीय नहीं रखा जाता है। यह ईमेल, फैक्स या

अखबारों के माध्यम से भी दायर हो सकती है।
*PIL याचिकाकर्ता की वापसी से आवेदन को स्वीकार करने के लिए न्यायपालिका वाध्य नहीं है, ऐसे व्यक्ति के PIL से अलग होने के बावजूद भी न्यायपालिका PIL की सुनवाई करते हुए उचित आदेश पारित कर सकती है।
*PILके लिए यह आवश्यक है कि संबंधित मामले की विषय-वस्तु वास्तव में जनता के एक बड़े वर्ग को प्रभावित करती हो, यदि ऐसा नहीं है तो न्यायालय ऐसे वाद को PIL के अंतर्गत नहीं लेगी। *PIL के लिए आवश्यक है कि उसमें निहित मुद्दे एक तरफ तो सरकार की विधिक अथवा संवैधानिक जिम्मेदारी से संबंधित होना चाहिए तथा दूसरी तरफ उसका संबंध जनअधिकारों से होना चाहिए।
👉जनहित याचिका की आलोचनाएं-
*न्यायालय के कार्यभार में अनावश्यक वृद्धि
*PIL का सिद्धांत और व्यवहार सरकार के तीनों अंगों में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को बाधित करती है।
*सस्ती लोकप्रियता का साधन/निजी उद्देश्यों की पूर्ति में सहारा/अयोग्य एवं नकली वादों में वृद्धि
*सरकार के तीन अंगों में गतिरोध
*PILका सीमित प्रभाव-न्यायपालिका PIL के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन के उद्देश्य को प्राप्त करना चाहती है। सामाजिक परिवर्तन का संबंध जनता के सामाजिक मूल्यों व आदर्शों से है जिन्हें केवल कानून के माध्यम से ही नहीं बदला जा सकता है।
*कार्यपालिका में अनावश्यक भय-प्रशासनिक अधिकार केवल अपने विधिक दायित्वों तक ही सीमित होकर रह गए हैं, इससे प्रशासन में गतिशीलता और नवाचार के तत्व समाप्त होते जा रहे हैं।
*राजनीति से प्रेरित होने का आरोप- PIL के कई विवादास्पद मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से न्यायालयों का आचरण भी चर्चा का विषय बन गया है तथा उस पर राजनीति से प्रेरित होने के आरोप भी लगाए गए हैं। इस तरह का राजनीतिक वाद-विवाद न्यायालय की निष्पक्षता, स्वतंत्रता तथा गरिमा की दृष्टि से उचित नहीं है।
👉जनहित याचिकाओं के कुछ प्रमुख वाद-
बंधुआ मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी, अभिवंचित बच्चे, कैदियों का शोषण, पुलिस अत्याचार, महिला हिंसा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पर्यावरणीय मुद्दे/प्रदूषण, दंगे, पारिवारिक पेंशन, मालिक- किराएदार विवाद, सेवा संबंधी मामले, चिकित्सा महाविद्यालयों में नामांकन, अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित वाद आदि